फिलीपींस में भीषण भूकंप, आठ की मौत

मनीला, 08 जून. फिलीपींस में सोमवार तड़के 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किये गये, जिससे हुए हादसों में अब तक आठ लोगों की मौत हो गयी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं.

देश के एक दक्षिणी शहर में कई इमारतें और एक मुख्य संपर्क पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि इसके बाद उठी तीन फुट ऊंची सुनामी ने नजदीकी तटीय क्षेत्रों में दहशत फैला दी।अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं. फिलीपींस के अलावा, इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्र में भी हलचल देखी गयी, हालांकि यहां छोटी लहरें दर्ज की गयीं. इस भूकंप ने दक्षिणी फिलीपींस में इमारतों और अवसरंचना को काफी नुकसान पहुंचाया है, हालांकि सुनामी से हुए नुकसान की स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है. श्री टेरेसिटो बैकोलकोल ने कहा कि यह एक बड़ा भूकंप है और बड़े नुकसान की आशंका है. वीडियो के आधार पर हमने कुछ क्षतिग्रस्त इमारतों को पहले ही देखा है. भूकंप के तुरंत बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि आपदा राहत बल और एजेंसियां राहत कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मार्कोस ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और हम लोगों को इस संकट में नहीं छोड़ नहीं देंगे. फिलीपींस समय के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजकर 37 मिनट पर आये.

भूकंप के झटके आने के करीब पांच घंटे बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि सुनामी का खतरा अब काफी हद तक टल गया है. फिलीपीन ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार, सुल्तान कुदरत और सारंगनी के फिलीपीन प्रांतों में जमीन पर बने सुनामी निगरानी केंद्रों ने तीन फुट ऊंची लहरें दर्ज कीं. चेतावनी केंद्र ने हालांकि खतरे को काफी हद तक टला हुआ बताया है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान देने का आग्रह किया है, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक समुद्र के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

मालवीय नगर अग्निकांड का आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी होटल अकाउंटेंट जय मिश्रा को सोमवार को साकेत की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए अकाउंटेंट को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि श्री मिश्रा ने होटल के प्रशासनिक और लाइसेंसिंग से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. श्री मिश्रा इस घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे. एक सूत्र ने बताया, नियामक मंजूरियों, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुपालन दस्तावेजों सहित कई परिचालन कार्य अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश के माध्यम से संभाले जा रहे थे.

कल से सुरक्षित मातृत्व के देशव्यापी कार्यक्रम

नई दिल्ली, 08 जून. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 09 जून से देशभर में विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत करेगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता एवं जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जायेगी, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उपलब्ध नौ सुनिश्चित नि:शुल्क सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है. दस वर्षों की इस उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए श्री नड्डा एक विशेष 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 05 रुपये का

डाक टिकट भी जारी करेंगे. यह सम्मान मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के योगदान को समर्पित होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ जून 2016 को इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी. प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

मोदी ने दी आर्मेनिया के चुनाव में जीत पर निकोल पशिनयान को बधाई दी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया में संसदीय चुनावों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर निकोल पशिनयान को बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया जनादेश आर्मेनिया के लोगों के उनके नेतृत्व और विज़न पर पक्के भरोसे तथा विश्वास को दिखाता है. उन्होंने कहा कि वह भारत और आर्मेनिया के बीच दोस्ती तथा सहयोग के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को अधिक गहरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं. श्री मोदी ने कहा कि संसदीय चुनावों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर निकोल पशिनयान को बधाई. नया जनादेश आर्मेनिया के लोगों के आपके नेतृत्व और विज़न पर पक्के भरोसे और विश्वास को दिखाता है. मैं भारत और आर्मेनिया के बीच दोस्ती और सहयोग के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.

योगी ने बीटेक की छात्रा को पढ़ाने का दिलाया भरोसा

लखनऊ, 8 जून. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण हो. उन्होंने खासतौर पर शिक्षा, पुलिस की निष्क्रियता और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाया. जनता दर्शन में लखनऊ की एक युवती अपनी वृद्ध मां के साथ पहुंची. उसने बताया कि उसने इंटरमीडिएट अच्छी अंक संख्या के साथ पास किया है और बीटेक करना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ रही है. मुख्यमंत्री ने उसकी मार्कशीट देखी, पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि लखनऊ के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में उसका प्रवेश कराया जाएगा. योगी ने कहा कि सरकार किसी भी गरीब या जरूरतमंद छात्र की शिक्षा को आर्थिक अभाव के कारण बाधित नहीं होने देगी.

मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि भीषण गर्मी में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पहले जिला और मंडल स्तर पर अपनी बात रखें, क्योंकि कई समस्याएं वहीं हल हो जाती हैं।जनता दर्शन में आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद की मदद के लिए प्रतिबद्ध है.

बंगाल के 4800 अवैध घुसपैठियों को भेजा वापस

डिटेक्ट-डिटेन-डिपोर्ट अभियान में 4800 बांग्लादेशी बाहर

कोलकाता, 8 जून. पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तेज करते हुए अब तक करीब 4800 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजे जाने का दावा किया है.

शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाए जाने के बाद कई लोग स्वयं ही वापस लौट गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 1 अगस्त से जनगणना संबंधी कार्य शुरू होगा, जो अगले वर्ष फरवरी तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन लोगों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हवाले किया गया, जहां से उन्हें बांग्लादेश भेजा गया.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 836 अन्य बांग्लादेशी नागरिक राज्य के विभिन्न होल्डिंग सेंटरों में रखे गए हैं और उनकी वापसी की प्रक्रिया जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

142 करोड़ के सीमा पार ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी

ईडी को मिली सफलता

नई दिल्ली, 08 जून. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक दल सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मिजोरम-म्यांमार सीमा, त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार जगहों पर तलाशी ले रहे हैं. ईडी का यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), अगरतला ज़ोनल इकाई द्वारा दर्ज किये गये एक मामले पर आधारित है. इसमें 21 अगस्त, 2025 को त्रिपुरा में 49.101 किग्रा मेथाम-फेटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन जब्त की थी. त्रिपुरा में जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, वे बंगलादेश सीमा से सिर्फ 200 मीटर दूर हैं.

होर्मुज में जलते टैंकर से 24 भारतीयों का रेस्क्यू

- तनाव के बीच भारतीय नाविक सुरक्षित निकाले
- भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने की दी सलाह

तेहरान 8 जून. मध्य पूर्व में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक तेल टैंकर में आग लगने की घटना सामने आई है. जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों को भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया. शुरुआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना ऐसे समय हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. भारतीय नाविकों के सुरक्षित निकाले जाने के बाद संबंधित एजेंसियां घटना के कारणों और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही हैं. इसी बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है. हालांकि ईरानी पक्ष ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में इजराइल की ओर से कोई नया हमला किया जाता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा.

आज का इतिहास

1659- दादर के बलूची प्रमुख जीवन खान ने दारा शिकोह को धोखे से औरंगजेब के हवाले कर दिया.

1720- स्वीडन और डेनमार्क ने तीसरी स्टॉकहोम संधि पर हस्ताक्षर किए.

1789- स्पेन ने वैंकूवर द्वीप के निकट ब्रिटेन के जहाजों पर कब्जा किया.

1900- स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)
ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 32/सिविल/26-27

निविदा आमंत्रण

दिनांकः 03.06.2026

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR, DATE 08-11-2025/NON SOR/BUILDING SOR DATE-02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_512705_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 05 के अन्तर्गत छगन मामा वाली गली राज नगर एवं नाले किनारे क्रॉस गलियों की क्षतिग्रस्त सड़क का सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹33,66,844/-	₹5,000/- ₹25,300/-	03-07-2026 6.00 PM 06-07-2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	101890895	होम लोन	30-05-2026	6,03,833.20/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नामः 1. जानकीलाल अशोक 2. बुलबुल जानकीलाल

संपत्ति का पताः मकान संख्या 169 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट (यानी 78.99 वर्ग मीटर) है, जो सर्वे संख्या 212, पी.एच. संख्या 24, वार्ड संख्या 10, ग्राम बेहलोला, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456224 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में सड़क, उत्तर में रामप्रकाशजी का घर, दक्षिण में स्वयं का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 09.06.2026
स्थानः मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

IIFL FINANCE गोल्ड लोन

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at Mihar Plaza, Opposite Lokendra Takies Jawahar Marg, New Road, Ratlam (MP) - 457001 will be shifting to below mentioned address with effect from 09.09.2026.

New Address: IIFL Finance Limited, Plot No. 3, Bank Colony, Nazar Bagh Ratlam, Madhya Pradesh Pin - 457001.
Contact No.: 02271071763
All existing services can be availed at the new location.

सार्वजनिक सूचना

मिहार प्लाजा, लोकेंद्र टाकीज़ के सामने, जवाहर मार्ग, न्यू रोड, रतलाम (मध्य प्रदेश) - 457001 पर स्थित आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की शाखा 09.09.2026 से नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित किया जाएगा।

नया पताः आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3, बैंक कॉलोनी, नज़र बाग़ रतलाम, मध्य प्रदेश पिन - 457001।
संपर्कः 02271071763
सभी मौजूदा सेवाएँ इस नई शाखा से हासिल की जा सकती हैं।

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098,
सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24018327 भेरू लाल कीर/ गीता बाई किर	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में भूमि सर्वेक्षण संख्या 32, क्षेत्रफल 102.30 वर्ग मीटर, वार्ड संख्या 09, पी.एच.एन. 04, ग्राम-किरपुरा खुर्द, तहसील- जवाद, जिला- नीमच-458330, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः शिवलाल की खुली भूमि पश्चिमः स्वामी/मकान की भूमि, भोनीराम जी उत्तरः रास्ता दक्षिणः स्वामी की भूमि	05-मार्च-26/ रू. 1,66,827/- (एक लाख छियासठ हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र)	04-06-2026
2	UDRNM24015757 रतनलाल कुशवाह/ भागू बाई कुशवाह	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में खसरा नंबर 90, एडमिन 1080 वर्गफुट, पी.एच.एन. 12, ग्राम- कामावास, ग्राम पंचायत- हनुमंतिया, तहसील- जावद, जिला- नीमच 458330, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः सड़क पश्चिमः भंवरलाल नायक का घर उत्तरः घर पप्पूलाल कुशवाह दक्षिण : पुत्र मांगीलाल कुशवाह	05-मार्च-26/ रू. 2,80,139/- (दो लाख अस्सी हजार एक सौ उनचालीस मात्र)	04-06-2026

दिनांक : 09.06.2026
स्थानः मध्यप्रदेश
एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

EOI No.:HYU/Registrar/2026/967 **Durg, Date: 05-06-2026**

Hemchand Yadav University, Durg (C.G) invites Expression of interest (EOI) from eligible and experienced organizations/agencies/companies for **establishing an Entrepreneurship, Incubation & Start-up Ecosystem** at the University campus in alignment with NEP 2020, Atal Innovation Mission, Startup India and MSME schemes.

Scope: Setting up & operating Incubation Centre | Mentorship & Training Programs | Start-up Support & Funding Linkage | IPR/Patent Assistance | Industry-Academia Collaboration | MSME Scheme Implementation | Digital Platform & Networking | Monitoring & Impact Assessment.

Eligibility: Registered entity in India | Min 3 years experience in incubation/entrepreneurship | Min 10 startups incubated | Prior experience with academic institutions (preferred) | DPIIT/NITI Aayog/MSME recognized (preferred) | Financially sound (3- year audited accounts required) | Not blacklisted.

Focus Areas: AgriTech | Health Teach /AYUSH | EdTech | Clean Tech | Mining Tech | AI/ML & IT | Tribal Art & Craft | Food Processing | Rural & Social Entrepreneurship

Last Date: 22 June 2026, 5:00 PM Detailed EOI document available at www. durguniversity.ac.in

Submit to: Vice-Chancellor, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg- 491001 (C.G.) Email: vc@hyudurg.ac.in

-Sd-
Registrar

48071/4

IndusInd Bank
इंडसइंड बैंक लि., एफएफआर डिपार्टमेंट, 11वीं मंजिल, टॉवर 1, वन वर्ल्ड सेन्टर, 841, सेनापती बापट मार्ग, इल्फिंस्टोन रोड़, मुम्बई - 400013

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के तहत

एतदद्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष रुप से ऋणीयों(ओं) तथा जमानतदार (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि सुरक्षित लेनदार, के पास गिरवी रखी गई है/चार्ज की गई है, जिसका **भौतिक कब्जा** इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है, जिसे दिनांक **14 जुलाई 2026** को "जैसा है जहाँ है" "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बकाया राशि **रु. 56,66,511.96 (रुपए छप्पन लाख छियासठ हजार पाँच सौ ग्यारह एवं छियानवे पैसे) 31 मई 2026** तक की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो कि **सफदर हुसैन कनवासवाला जमानतदार/बंधककर्ता, श्री ऐजाज हुसैन कनवासवाला, श्री मंसूर अली कनवासवाला, हबीब हुसैन कनवासवाला और बुरहानुदीन कनवासवाला** से सुरक्षित लेनदार को बकाया है।

आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। संपत्ति का निरीक्षण **01 जुलाई 2026,** को निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार उपलब्ध होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

क्रं.	सुरक्षित अस्ति का विवरण	ज्ञात भार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी	निरिक्षण की तिथी
1	नया नं. 12/2 (मकान नं. 32, पुराना मकान नं. 33) का दक्षिणी भाग, अलापुरा नं. 2, इंदौर (म.प्र.) 684 वर्ग फीट भूमि और उस पर मौजूद व भविष्य में होने वाला निर्माण।	NIL	Rs.100.73 लाख / Rs.10.07 लाख	01-07-2026 (प्रात: 11:00 बजे से दोप. 12:00 बजे तक)

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी **सुश्री अत्रेयी दास से मो.नं. 9601621197/**atreyi.das@indusind.com या बैंक अधिकारी **श्री कमल मिश्रा से मो. नं. 09819820760/**mishra.kamal@indusind.com पर संपर्क करें।

दिनांक : 09.06.2026
स्थान : मुम्बई
प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी/ गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC22-23010755 श्री पीरु लाल पुत्र श्री मोहन लाल (ऋणी), श्रीमती रेखा बाई (सहऋणी), श्री सुनील कुमार (सहऋणी), श्री शिनारायण लोहार (गारंटर)	18.08.2025 Rs. 4,57,904.02 चार लाख सत्तावन हजार नौ सौ चार रूपये एवं दो पैसे मात्र 08.08.2025 तक भौतिक कब्जा 02.06.2026	श्री पीरु लाल पुत्र श्री मोहन लाल की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 38, वार्ड नं. 02, कडोदिया रोड तिराहे से नयापुरा मेन रोड से अन्दर, मकान नं. 26, तहसील- मकदोन, जिला- उज्जैन, मप्र- 456668, क्षेत्रफल लगभग 555.00 वर्गफीट	Rs. 9,76,800/- नौ लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र	Rs. 97,680/- सत्तानवे लाख छः सौ अस्सी रुपये मात्र	Rs. 5,47,273.84 दिनांक 05.06.2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 09.07.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 07.07.2026, सांय 5:00 बजे तक,
निरीक्षण की दिनांक एवं समय 06.07.2026 (कार्यालय समय मे)

निविदा की शर्ते :-
(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किए जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।(2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।(3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी।(4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोटः-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 08-06-2026 **स्थानः उज्जैन, मप्र** **प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
पीथमपुर शाखा : शॉप नंबर DUGF-46 एवं और DUGF-47, प्रॉपर्टी नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स और संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला धार - 453331 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 05100002284 / पिथमपुर शाखा) शोभा बाई यादव (ऋणी) अरुण यादव (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, रो हाउस पार्ट नंबर बी पंजी नंबर 4 1 पर स्थित, जिसे श्रीराम नगर के नाम से ज्ञात, गुजरखेड़ा, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441 **चर्तुसीमाएं:** पूर्व - प्लॉट नंबर सी, पश्चिम - प्लॉट नंबर ए, उत्तर - सड़क, दक्षिण - अन्य भूमि	08-07-2024 & ₹ 4,57,591/-	05-06-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 09.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड